संख्या-01/2018/61/26-2-2018-100(69)/2002

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ दिनांकः 15 जनवरी, 2018

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत संचालित इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-05/2017/433/26-2-2017-100(69)/2002, दिनांक 01 मई, 2017 एवं संख्या-17/2017/1289/26-2-2017-100(69)/2002, दिनांक 24 अगस्त, 2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत संचालित इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिये आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 115100.00 लाख के सापेक्ष अवशेष उपलब्ध धनराशि रू0 29502.24 लाख (रू0 दो अरब पन्चानबे करोड़ दो लाख चैबीस हजार मात्र) को स्वीकृत कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को योजना हेतु प्राविधानित कुल धनराशि की सीमा में समायोजित रखने की जिम्मेदारी वित्त नियंत्रक, निदेशालय समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ की होगी।

(2) प्रश्नगत योजना हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो के अधीन धनराशि का आहरण एवं व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त योजना/मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-आयोजनागत-104-वृद्ध अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण-05-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम-0501-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/10-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

पृ0 संख्या- 01/2018/61 (1)/26-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. एन0एस0ए0पी0 डिवीजन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग-3
8. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
उप सचिव।